कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 19/09/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.09.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा फौ0सं0 249/13 धारा 352,286,504,506 भादवि व फौ0 सं0 368/16 धारा 323,325,506 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मा0 न्यायालय अपर सिविज जज (जू0डी0) जेएम कक्ष सं0 3 मुहम्मदाबाद गाजीपुर के द्वारा फौ0सं0 249/13 राज्य प्रति बच्चन सिंह थाना करीमुद्दीनपुर धारा 352,286,504,506 भा0द0वि0 व फौ0 सं0 368/16 धारा 323,325,506 भा0द0वि0 बनाम हरेन्द्र यादव आदि से संबंधित वारण्टीगण को आज दिनांक 18.09.2024 को उ0नि0 शहीर सिद्दीकी, उ0नि0 सुरेश कुमार मिश्र, का0 भीम भारती व का0 श्यामबाबू द्वारा 03 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1 . हरेन्द्र यादव पुत्र माधव नि0 ग्राम जोगामुसाहिब थाना करी0पुर गाजीपुर।
2 . जनार्दन पुत्र माधव नि0 जोगामुसाहिब थाना करी0पुर गाजीपुर।
3 . रविन्द्रनाथ सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह नि0ग्राम देवरिया थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

02. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 461/2024 धारा 317(2),317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.09.2024 को रामपुर जगन के पास स्थित काली मंदिर के पास से मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1 . अभिषेक यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी गोपालचक पोस्ट ताजपुर डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष । 2.राजू उर्फ राजा बिन्द पुत्र गुड्डू बिन्द निवासी रघुनाथपुर छावनी लाईन थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को समय करीब 02.40 बजे गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल व अभियुक्त

अभिषेक यादव उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त राजू उर्फ राजा बिन्द उपरोक्त के पास से एक अदद मोबाइल विवो बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 461/2024 धारा 317(2),317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता

1 .अभिषेक यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी गोपालचक पोस्ट ताजपुर डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

2 .राजू उर्फ राजा बिन्द पुत्र गुड्डू बिन्द निवासी रघुनाथपुर छावनी लाईन थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1 .एक अदद मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस काले रंग की बिना नम्बर प्लेट की

2 .एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास –

अभिषेक यादव उपरोक्तः-

1 .मु0अ0सं0-461/2024 धारा 317(2),317(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली गाजीपुर

2 .मु0अ0स0 30/2022 धारा 380,411 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर

3 . मु0अ0स0 149/2020 धारा 457,380,411 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर

आपराधिक इतिहास

राजू उर्फ राज बिन्द उपरोक्तः-

1 .मु0अ0सं0 461/2024 धारा 317(2),317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

2 .मु0अ0स0 273/2024 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर

03. ' श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 18.09.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नन्दगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-576/2017 धारा 363/366ए/370ए भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्ता 1.निशा सिंह पुत्री धीरेन्द्र कुमार निवासिनी छोटा पाण्डेयपुर कैण्ट थाना कैण्ट जनपद वाराणसी के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता उपरोक्त को धारा 366 ए भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 35000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

04. थाना कोतवाली व रेलवे पुलिस बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 456/2024 धारा 125,285 बी0एन0एस व 150,153 रेलवे एक्ट1989 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को एक अदद लकडी का बोटा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.09.2024 को श्री निशान्त कुमार सिंह पुत्र कन्हैया लाल सिंह (जेई/ पीवे/ गाजीपुर सीटी) निवासी चौजाखास थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2024 को गाड़ी संख्या 12561 अप स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाजीपुर घाट स्टेशन से गाजीपुर सीटी स्टेशन के लिए आ रही थी कि जमानिया रेलवे ओबर ब्रिज के नीचे कि0मी0 सं0 126/31-33 के मध्य गाडी के चालक द्वारा गार्ड रेल व रनिंग रेल लाईन के मध्य एक लकड़ी का टुकडा खड़े अवस्था मे देख इमरजेन्सी ब्रेक लगाने के बाद भी उक्त लकड़ी के टुकड़ा इंजन मे फँसकर रगड़ खाते हुए करीब 400 मीटर आगे तक चले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 456/2024 धारा 125,285 बी0एन0एस0 व 150,153 रेलवे एक्ट 1989 पंजीकृत किया गया था जिसमे आज दिनांक 18.09.2024 को जमानियाँ रजागंज रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे से आशीष गुप्ता पुत्र कालिका प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता

1 .आशीष गुप्ता पुत्र कालिका प्रसाद गुप्ता नि0 सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ से अभियुक्त आशीष गुप्ता उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर बच्चो के साथ 04 वर्ष से अपने मायके में रह रही है। मेरी कोई बात नही सुन रही है। मैं इधर उधर घूम फिर कर नशा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अक्सर मैं नशा करने के लिए एकान्त स्थान होने के कारण पुल के नीचे ही आता हूँ। कही अन्य जगह पर नही जाता हूँ क्योकि अन्य जगह जाने पर लोग चोर-चोर कहकर दौड़ा लेते हैं। पत्नी के न आने के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मै दिनांक 16.09.24 को भी रात्रि में मैं यही पुल के नीचे आया था और रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखकर बैठा था लेकिन मुझे याद नही है कि मै उस लकड़ी को यहां से लेकर गया था कि नहीं। यह पूछने पर की लकड़ी कहां से और क्यूँ लेकर आते हो तो बता रहा है कि पुल के उपर रोड पर लकड़ियाँ पड़ी है उसी में से एक लकड़ी मै पुल के नीचे आने पर उठा लेता हूँ कि किसी कीड़ा मकौड़ा के आने पर मैं उसको मार सकूँ। उस दिन भी मैं कीड़ा मकौड़ा मारने के लिए लकड़ी का एक फन्टा लिया हुआ था। यह पूछने पर कि तुम्हारे इस लकड़ी फन्टा के कारण स्वतंन्त्रता सेनानी ट्रेन का इंजन फेल हो गया था तो बता रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है। अब भविष्य में ऐसी गलती नही होगी।

बरामदगी–

1. एक अदद लकड़ी का बोटा व एक अदद चिलम

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-456/2024 धारा 125,285 बी0एन0एस0 व 150,153 रेलवे एक्ट 1989 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 .प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय टीम जनपद गाजीपुर।

2 .रेलवे पुलिस बल मय टीम जनपद गाजीपुर।

3 .राजकीय रेलवे पुलिस मय टीम जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर